

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6722/

2008

दिनांक: 19-9-16

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
पंचकुला ।

विषय: Diversion of 0.021 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Pundri W/S Division, Kaithal for the purpose of Pump House at RD 84000-R Habri Sub Branch, under forest division and District Kaithal, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/IRRIG/19242/2016

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 13-7-2016 व 1548 दिनांक 16-8-2018 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.021 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।
 - (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2002, 28-3-2008 एवं 9-5-2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 5-2-2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजैन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए ।
 - (iii) भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/कैम्पा दिनांक 24-6-2011 के तहत दिए गए अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के CAMPA Haryana लेखा संख्या SB01025209, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-II, भूतल, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 या Haryana CAMPA लेखा संख्या SB344902010105418, भारतीय यूनियन बैंक, सुन्दरनगर, नई दिल्ली में जमा करवाई जाएं और इस कार्यालय को निर्धारित प्रोफोर्मा द्वारा सूचित किया जाए ।
- उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :-

1. वन मण्डल अधिकारी, कैथल ।
2. Executive Engineer, Pundri W/S Division, Kaithal.